कालेज में दाखिले के नाम पर 50 लाख की ठगी

झांसा देकर 12 लाख की ठगी, तीन पर मुकदमा

जागरण संवाददाता ● लखनऊ : एमडी मेडिसिन में दाखिला दिलाने का झांसा देकर जालसाजों ने एक डाक्टर के पिता से 50 लाख रुपये ठग लिए। जानकीपुरम विस्तार निवासी राजेन्द्र सिंह ने बताया कि 30 जनवरी 2025 को उनके मोबाइल पर आदर्श मिश्रा नाम के व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को मथुरा निवासी बताया और मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कालेज में बेटी डा. शिवानी राजपूत का दाखिला कराने का दावा किया। आरोपित ने तीन साल के कोर्स के लिए 90 लाख रुपये खर्च होने की बात कही। फरवरी में उसने लखनऊ स्थित एकेटीयू के गेट पर राजेन्द्र की पत्नी से तीन लाख रुपये नकद ले लिए और बाद में 27 लाख रुपये की मांग की। राजेन्द्र 10 फरवरी 2026 को बेटी और साले के साथ मुंबई जाकर आरोपित से मिले। वहां उन्हें दाखिले का झांसा दिया गया और 27 लाख रुपये भी लिए गए। आरोपित ने मूल प्रमाण पत्र अपने पास रख लिए और बाद में 20 लाख रुपये और मांगे। राजेन्द्र ने जासूसी कैमरे से बातचीत की रिकार्डिंग की।

हादसे में युवती की मौत, चार दिन पहले ही लगी थी नौकरी

संवाद सूत्र ● लखनऊ: तेलीबाग बाजार में मंगलवार सुबह ड्यूटी के लिए पैदल निकली 20 वर्षीय तहसीन बानो को स्कूली वैन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वह कई मीटर दूर जा गिरी। उसके सिर व चेहरे पर गंभीर चोट लगी थी। आसपास के लोगों ने उसे पीजीआइ ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

तेलीबाग के ब्रिज विहार कालोनी के खुर्शीद अहमद ने बताया कि बेटी तहसीन बानो तीन बहनों में सबसे बड़ी थी। उसे महज चार दिन पहले गोमतीनगर स्थित एक निजी कंपनी के काल सेंटर में नौकरी मिली थी। नौकरी मिलने के बाद वह बेहद खुश थी और अपनी पहली सैलरी से छोटी बहनों के लिए गिफ्ट लाने का सपना देख रही थी। माता-पिता को भी अपनी बेटी से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी की जिंदगी पहली सैलरी मिलने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां सड़क के बीच बने डिवाइडर में विभाग ने रास्ता बंद किया था। कुछ दुकानदारों ने डिवाइडर के बीच की लोहे की ग्रिल को काटकर वहां पैदल आने-जाने का रास्ता बना लिया था। इसके कारण लोग इसी कट से सड़क पार करने लगे हैं, जो हादसे का कारण बना। मंगलवार सुबह तहसीन भी इसी कट से सड़क पार कर रही थी, तभी स्कूली वैन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस वैन में बच्चे भी सवार थे। आरोपित चालक व वाहन की तलाश की जा रही है।

आवश्यकता है

Jagran

सेल्स एग्जीक्यूटिव

पद हेतु लड़के/लड़कियां संपर्क करें।

फुल टाइम जॉब

भुगतान - 15,000 से 20,000 तक प्रतिमाह

*आवेदक के पास स्मार्ट फोन होना अनिवार्य है।

DAINIK JAGRAN OFFICE

57A-3, Meerabai Marg, Hazratganj, Lucknow

Interview Date & Timings : From Today to 10 September 2026, 11:00 AM - 04:00 PM

Contact : 7007082665, 7080858888, 6307815518, 7408085063

अदालत से

थाना प्रभारी तलब

लखनऊ : अभियोजन पत्रावली के अनुसार, पेपर मिल कॉलोनी निवासी योगेश मिश्रा ने समीर मेहंदी को व्यापार के लिए 10 लाख 50 हजार रुपये उधार दिए थे। जब आरोपी ने चेक दिया, तो वह बाउंस हो गया। कोर्ट ने 22 जनवरी 2025 को समीर मेहंदी को एक वर्ष के कारावास और 20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। जुर्माने की रकम में से 15 लाख रुपये परिवादी को दिए जाने का आदेश था। पेश न हुआ तो न्यायालय ने थाना कैसरबाग के प्रभारी निरीक्षक को पत्र लिखकर आरोपी को पेश करने के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। (विसं.)

साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त

लखनऊ : शादी का झांसा देकर दुराचार करने के आरोपी कौशिक राय चौधरी को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। वादिनी ने नाका थाने में 18 जुलाई 2018 को रिपोर्ट में बताया कि वह गोमतीनगर की एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। जहां उसकी मुलाकात आरोपी कौशिक राय चौधरी से हुई, जिसने ख़ुद को सीए बताकर कंपनी के मालिक से मिलवाने के बहाने नाका स्थित एक होटल में कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दुराचार किया। (विसं.)

आरोपित बरी

लखनऊ : अपर सत्र न्यायाधीश देवेश चंद्र गुप्ता ने गुड्डू, संतु, इलियास और लइक को गैर इरादतन हत्या के मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन ने बताया कि वादी उमराव ने 9 फरवरी 2005 को मड़ियांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी का एक खाली प्लाट है, जिसमें आरोपीगण रहते हैं और भैंस पालन करते हैं। घटना की रात, दो चोर एक भैंस चुराकर ले जा रहे थे। ग्रामीणों ने एक चोर को नीम के पेड़ में बांधा, जबकि दूसरा भाग गया। पकड़े गए चोर से पूछताछ के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। (विसं.)

चिटफंड के नाम पर 200 करोड़ ठगने वाले भाइयों को एसटीएफ ने दबोचा

कृष्णानगर के मानसनगर से गिरफ्तार 50-50 हजार के इनामी थे

जागरण संवाददाता ● लखनऊ: अमर ज्योति चिटफंड कंपनी के जरिए बदायूं व बरेली जिले में करीब 200 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के आरोपित संचालक भाइयों को एसटीएफ ने सोमवार देर शाम कृष्णानगर के मानसनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बरेली स्थित चांद खां निकट ईसाई की पुलिया थाना बारादरी निवासी आरोपित शशिकांत मौर्य और सूर्यकांत मौर्य पर 50-50 हजार का इनाम घोषित था। आरोपितों को एसटीएफ ने बदायूं के थाना कोतवाली में दाखिल कर जेल भेज दिया है।

एसटीएफ एएसपी राजकुमार मिश्र ने बताया कि बदायूं सिविल लाइंस निवासी आशु बंसल ने शशिकांत मौर्य, उनकी पत्नी अर्चना, भाई सूर्यकांत, बेटा विशुकांत व मैनेजर एसपी सिंह के खिलाफ थाना कोतवाली में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शशिकांत व सूर्यकांत फरार हो गए थे। एक जुलाई 2025 को डीआईजी बरेली ने 50-50 हजार का इनाम घोषित किया था। छानबीन के दौरान एसटीएफ ने दोनों को पकड़ा। एएसपी ने बताया कि आरोपित शशिकांत ने वर्ष 1988 में मोहल्ला जालंधरी सराय बदायूं में किराने की दुकान खोली थी, जो लगभग 2004-05 तक चली। उसके बाद शशिकांत ने लायंस हाउसिंग फाइनेंस एंड लिजिंग कंपनी में कुछ समय फील्ड एजेंट के रूप में काम किया। फिर अमर ज्योति हायर परचेज के नाम से कंपनी खोली, जो शेयर खरीदने व बेचने और निजी लोन देने का कार्य करती थी, जिसमें आमजन से शेयर खरीदने के नाम पर निवेश कराकर वही रुपये निजी लोन पर देते थे। आरोपितों ने वर्ष 2016 में अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। कंपनी में 200 से अधिक एजेंट लगाए गए थे। इनके माध्यम से जिले के हजारों लोगों और सैकड़ों अधिवक्ताओं से निवेश कराया गया। आरोपितों ने अमर ज्योति हायर परचेज का कार्यालय कटरा चंदका बरेली और अमर ज्योति यूनिवर्स निधि का रजिस्टर्ड कार्यालय जालंधरी सराय बदायूं में बनाया। चिटफंड कंपनी में आरोपियों ने हजारों लोगों से निवेश कराया और उसके बाद बरेली छोड़कर फरार हो गए। जिसके बाद बरेली के बारादरी थाने में चार और बदायूं के थाना कोतवाली में पांच मामले दर्ज हुए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी उत्तम नगर दिल्ली में लगभग आठ माह तक छिपकर रहे। उसके बाद से मानस नगर कृष्णानगर लखनऊ में छिपकर रह रहे थे। बदायूं पुलिस मामले में आठ एजेंटों को पूर्व में जेल भेज चुकी है।

चिटफंड के नाम पर ठगी करने वाले दोनों भाई पुलिस गिरफ्त में ● पुलिस

दहेज विवाद के बीच बेटी लापता दामाद पर अपहरण का आरोप

- अलीगंज सेक्टर क्यू निवासी मीना देवी ने लगाए आरोप
- ज्ञानेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू

जागरण संवाददाता ● लखनऊ : मड़ियांव क्षेत्र में दहेज को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद के बीच महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। अलीगंज सेक्टर क्यू निवासी मीना देवी ने अपने दामाद लखीमपुर खीरी निवासी ज्ञानेंद्र सिंह यादव पर बेटी रुचि के अपहरण का आरोप लगाया है। मीना की तहरीर पर मड़ियांव पुलिस ने सोमवार को ज्ञानेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

मीना के मुताबिक, उनकी बेटी और दामाद के बीच दहेज को लेकर न्यायालय में मामला चल रहा है। 10 अप्रैल की दोपहर रुचि अचानक लापता हो गईं। इसकी जानकारी ससुराल पक्ष के लोगों से मिली। इसके बाद स्वजन ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। मीना ने पुलिस को दी तहरीर में बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए आरोप लगाया कि ज्ञानेंद्र ने उसका अपहरण किया है। पुलिस अब आरोपित से संपर्क कर उसके बयान लेने की तैयारी में है। इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्र ने बताया कि प्रारंभिक जांच में रुचि के मानसिक रूप से बीमार होने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, वह पहले भी बिना बताए घर से जा चुकी हैं और बाद में खुद लौट आई थीं। फिलहाल आरोप के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। रुचि के संबंध में जानकारी जुटाने के साथ ही दामाद की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

छात्रा से दुष्कर्म में गिरफ्तार

जासं ● लखनऊ: खुद को अविवाहित बताकर नर्सिंग छात्रा से दोस्ती और फिर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले आरोपित को गुडंबा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित अजय जानकीपुरम के रसूलपुर का रहने वाला है। बाराबंकी निवासी युवती गुडंबा इलाके में किराए पर रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। पीड़िता ने 5 सितंबर को गुडंबा थाने में आरोपित अजय के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, धमकी, गाली-गलौज व आइटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

बेटे ने मारा चाकू, पिता की मौत

जागरण टीम ● लखनऊ: मोहनलालगंज के उत्तरगांव में 25 दिन पहले बेटे के चाकू से हमले में घायल 62 वर्षीय बाबूलाल की मंगलवार को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपित बेटे शिव कुमार उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 14 अगस्त को बाबूलाल और शिव कुमार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। गाली-गलौज का विरोध करने पर शिव कुमार ने पास में रखा चाकू उठाकर पिता पर हमला कर दिया था।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | punjab national bank ...the name you can BANK upon !

मण्डल कार्यालय सीतापुर:
बीएसएनएल एक्सचेंज भवन, सीतापुर, उ.प्र.
फो. नं. 5862-246354 ईमेल:cositapurrecovery@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

ई-नीलामी प्रक्रिया से "वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत जो प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के साथ पठित है, अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, जमानतकर्ताओं, बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्ति(यों) जिन्हें बैंक के पक्ष में गिरवी/बंधक रखा गया था एवं जिनका रचनात्मक कब्जा (सांकेतिक/भौतिक) पंजाब नैशनल बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है की ई-नीलामी **जहाँ है जैसा है", "जहां है जो है" और "जो भी हो"** के अनुसार निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ताओं से प्रतिभूत राशि की वसूली के लिए की जाएगी। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य, EMD राशि एवं अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (कोई अधिभार ज्ञात नही) निम्नानुसार है।

बिक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

क्र सं	(अ) शाखा का नाम / (ब) खाते का विवरण / (स) उधारकर्ता/जमानतकर्ता/खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम बंधक सम्पत्ति/यां (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित)	अ)डिमांड नोटिस की तिथि 13(2)सरफेसी नियम 2002 / ब) बकाया राशि / स) कब्जा की तिथि, 13(4) सरफेसी नियम 2002 / द) कब्जा का प्रकार– रचनात्मक सांकेतिक/भौतिक कब्जा	अ)आरक्षित मूल्य / ब)धरोहर धनराशि / स) वृद्धिशील बिड धनराशि

नोडल अधिकारी - श्री योगेश, मुख्य प्रबन्धक, मण्डल कार्यालय, सीतापुर, मो. : +91 9805004858

ई-नीलामी की तिथि व समय 24.09.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक, धरोहर धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि 23.09.2026

1	(अ) शाखा–पलिया कलां, लखीमपुर खीरी (ब) श्री मनीराम, खाता संख्या 4195008700001160 & 419500IB00000152 स) श्री मनी राम (उधारकर्ता एवं बंधककर्ता) पुत्र श्री महादेव प्रसाद, श्री तौले राम (जमानतकर्ता एवं बंधककर्ता) पुत्र श्री महादेव प्रसाद, श्री सुशील कुमार (जमानतकर्ता) पुत्र श्री मनी राम सभी निवासी : (1) मोहल्ला – अहिरन–1, पोस्ट– पलिया कलां, तहसील– पलिया कलां, जिला–लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, पिन–262902 (2) ग्राम– तेहरा देहात, निघासन रोड, पोस्ट–पलिया कलां, तहसील–पलिया कलां, जिला– लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, पिन–262902	गैर–कृषि भूमि खाता नंबर 445 का भाग, खसरा नंबर 2002, क्षेत्रफल 0.130 हेक्टेयर अर्थात् 0.32 एकड़ एवं खाता नंबर 765 का भाग, खसरा नंबर 2003, **क्षेत्रफल 0.130 हेक्टेयर अर्थात 0.32 एकड़** स्थित ग्राम पलिया देहात, परगना –पलिया, तहसील–पलिया कलां, जिला–लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश जोकि पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 1780 दिनांक 10.12.1973 के अनुसार **श्री मनीराम पुत्र श्री महादेव एवं श्री तौले राम पुत्र श्री महादेव** के नाम उप–निबन्धक कार्यालय पलिया कलां लखीमपुर खीरी में पंजीकृत है। **चौहददी डीड के अनुसार –** पूर्व: चक मार्ग, पश्चिम: गोविंद का खेत, उत्तर: बानू राम का खेत, दक्षिण: चक मार्ग।	अ) 12.07.2023 / ब)रू. 33,52,189.19/- +ब्याज दि. 01-07-2023 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे जब तक कि पूर्ण भुगतान न हो, / स) 21.09.2023 / द)सांकेतिक कब्जा वर्तमान बकाया रू. 1504876.21 (31.03.2026 तक) +खर्चे	अ)रू. 59.31लाख / ब)रू. आरक्षित मूल्य का 10% / स)रू. 0.50 लाख
2	(अ) शाखा–एच एस मार्केट, बहराइच (ब)खाता का नाम– मैसर्स बृजेश इन्टरप्राइजेज खाता नं. 0072008700013550, 007200IL00000172, 007200RF00000014 स)उधारकर्ता– मैसर्स बृजेश इन्टरप्राइजेज, पता:(1) पीपल तिराहा, कचेहरी रोड, गुरुद्वारा के पास, बहराइच, उत्तर प्रदेश, पिन–271801 (2) गोंडा रोड, अग्रसेन चौक, बहराइच, उत्तर प्रदेश, पिन– 271801, **प्रोपराईटर–श्रीमती ममता गुप्ता पत्नी श्री बृजेश कुमार गुप्ता, बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता–श्री बृजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय दिनेश कुमार गुप्ता, दो**नों का पता: (1) म. नं. 230/154, मोहल्ला काजीपुरा (दक्षिण), लोहिया चौराहा के पास, परगना तहसील और जिला बहराइच, उ.प्र. पिन–271801 (2) मकान नंबर 176/122, मोहल्ला– बशीरगंज, परगना तहसील और जिला बहराइच, उ.प्र. पिन 271801 (3) एम.जी. रोड, 1, पीपल चौक, बहराइच, उ.प्र. पिन– 271801	:सभी भाग एवं हिस्सों सहित आवासीय संपत्ति मकान संख्या–230/154 **क्षेत्रफल 185.87 वर्गमीटर (2000वर्गफुट)** स्थित मोहल्ला काजीपुरा (दक्षिण), परगना, तहसील एवं जिला –बहराइच जोकि श्रीमती गुलाब देवी पत्नी स्व0 नारायण प्रसाद वैध द्वारा निष्पादित अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 07.02.1985 के अनुसार **श्री बृजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 दिनेश कुमार गुप्ता** के पक्ष में जिला न्यायाधीश, बहराइच के न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25–02–2009 द्वारा आर.एम.सी संख्या –216/2005 (बृजेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम अखिलेश कुमार गुप्ता और 3 अन्य) में परिवीक्षित किया। **चौहददी–डीड के अनुसार**–पूर्व: हरदेव प्रसाद का मकान, पश्चिम: नाला, उत्तर :हरदेव प्रसाद और हलधर प्रसाद का मकान, दक्षिण :– रास्ता एवं कुआं।	अ) 20-01-2023 / ब)रू. 1,62,24,135.47 दि. 31-12-2022, तक +ब्याज दि. 01-01-2023 स ` प्रभावी, एवं अन्य खर्चे समाप्ति की तिथि तक / स) 01.05.2023 / द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 80.00 लाख / ब)रू. आरक्षित मूल्य का 10% / स)रू. 0.50 लाख
3	(अ) शाखा–स्टेशन रोड लखीमपुर। (ब) खाता–मेसर्स न्यू नवीन मोबाइल वर्ल्ड ,खाता नं. 0289008700544887, 028900930053980 4, 028900IB00119360 स) उधारकर्ता– मेसर्स न्यू नवीन मोबाइल वर्ल्ड प्रोप श्री नवीन बाबू गुप्ता पुत्र श्री राम बाबू गुप्ता, प्रोपराईटर श्री नवीन बाबू गुप्ता पुत्र श्री राम बाबू गुप्ता, जमानतकर्ता– श्री शनि गुप्ता पुत्र श्री नवीन बाबू गुप्ता, सभी निवासी: प्लॉट नं. 7–बी, मोहल्ला–गणेश नगर, उदयपुर मेन गोला रोड, परगना–खीरी, तहसील लखीमपुर, जिला– लखीमपुर खीरी, उ.प्र. पिन– 262701, **जमानतकर्ता– श्री पवन कुमार गौर पुत्र श्री सियाराम गौर,** पता: सुभाष नगर कॉलोनी, देव काली रोड, लखीमपुर, उ.प्र., पिन–262701	संपत्ति दुकान सं. 5 क्षेत्रफल 238 वर्गफुट (22.118 वर्गमीटर) स्थित मोहल्ला–संकटा देवी (सावित्री दया सुपर बाजार), पोस्ट– लखीमपुर, तहसील– लखीमपुर, परगना –खीरी, शहर– लखीमपुर, उ.प्र. जोकि पंजीकृत बिक्री विलेख संख्या 22829 दिनांक 18–12–2014 के अनुसार उप निबन्धक कार्यालय लखीमपुर खीरी में **श्री नवीन बाबू गुप्ता पुत्र स्वर्गीय राम बाबू गुप्ता** के नाम पर पंजीकृत है। **चौहददी डीड के अनुसार –** पूरब–संकटा देवी मंदिर, पश्चिम: गलियारा, उत्तर: विक्रेता की दुकान संख्या 4, दक्षिण: छज्जा/शेड।	अ) 23.06.2021 / ब)रू. 50,54,046.00 (दिनांक 31.03.2021 को +ब्याज दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे, समाप्ति की तिथि तक / स) 18.09.2021 / द)भौतिक/वास्तविक कब्जा	अ)रू. 13.48 लाख / ब)रू. आरक्षित मूल्य का 10% / स)रू. 0.10 लाख
4	(अ) शाखा–गोलागोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी (ब) नवोदय इंटर कॉलेज (ट्रस्ट: नवोदय एजुकेशन सोसाइटी) खाता संख्या 190100IB00000428 स) नवोदय इंटर कॉलेज (ट्रस्ट: नवोदय एजुकेशन सोसाइटी) पता: मोहम्मदी रोड, निकट सरायन नदी, पोस्ट– गोला गोकरण नाथ, परगना– हैदराबाद, तहसील– गोला, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, पिन–262802, **श्री हरद्वारी लाल (प्रबंधक/संस्थापक: नवोदय इंटर कॉलेज) (उधारकर्ता/बंधककर्ता) पुत्र श्री केसव राम,** पता: मुहल्ला– मुन्नूरगंज, गांधी विद्यालय के पीछे, वार्ड नंबर 12, पोस्ट– गोला गोकर्णनाथ, तहसील– गोला, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, पिन–262802, **श्री राम कुमार वर्मा (जमानतकर्ता) पुत्र श्री खंजन लाल वर्मा,** पता: मोह–भारत भूषण कॉलोनी, पोस्ट–गोला गोकर्णनाथ, तहसील–गोला, जिला–लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, पिन–262802	आवासीय प्लॉट, उस पर निर्माण सहित मकान नंबर 153–ए, **क्षे. 164.41 वर्ग मीटर या 1769.00 वर्ग फुट** स्थित मोहल्ला मुन्नूरगंज (नगर पालिका गोला के अंतर्गत), परगना–हैदराबाद, तहसील–गोला गोकर्णनाथ, जिला–लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश जोकि पंजीकृत विक्रय अभिलेख संख्या 479 दिनांक 13.01.2012 के अनुसार **श्री हरद्वारी लाल पुत्र श्री. केशव राम** के नाम उप–निबन्धक, कार्यालय गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी में पंजीकृत है **।चौहददी डीड के अनुसार** पूर्व: रास्ता 18फीट चौड़ा, पश्चिम: हरित पट्टी नाली, उसके बाद 18फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर: विक्रेता का प्लॉट, दक्षिण:श्री राजेश कुमार वर्मा का प्लॉट।	अ) 30.05.2025 / ब)रू. 9,72,490.00 दिनांक 30.04.2025 तक+ब्याज एवं अन्य खर्चे जब तक कि पूर्ण भुगतान न हो, दिनांक 01.05.2025 से प्रभावी / स) 29.08.2025 / द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 52.00 लाख / ब)रू. आरक्षित मूल्य का 10% / स)रू. 0.50 लाख

प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण – कोई अधिभार ज्ञात नही

नियम एवं शर्तें– बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम एवं शर्तें की पुष्टिकरण के अधीन होगी।

1. सम्पत्तियों की बिक्री **"जहाँ है जैसा है", "जैसा है वैसा है", "जो भी हो" और दायित्व रहित के** आधार **पर** की जायेगी। **2.** बंधक सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्दिष्ट जानकारी बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंकित किये गये है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि गलत बयान या बिक्री सम्बन्धी घोषणा में हुई चूक हेतु जवाबदेही नही होगा। 3. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई–नीलामी प्लेटफार्म वेवसाइट **https://baanknet.com** पर की जायेगी। 4. विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** में दिए गए लिंक को देखें।

बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।

दिनांक 07.09.2026 स्थान सीतापुर

प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार

मंदिर के सामने कूड़ा डाला, नगर आयुक्त को समाधान के निर्देश

विधि संवाददाता ● जागरण, लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मड़ियांव क्षेत्र में कबीर मंदिर के सामने सड़क किनारे खुले में कूड़ा डाले जाने के मामले में नगर निगम से सख्त एतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि सड़क के किनारे इस तरह कूड़ा बिखरा होना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। इससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों और राहगीरों के स्वास्थ्य व स्वच्छता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि कूड़ा डालने के लिए किसी अन्य स्थान की संभावना तलाशें। यदि संभव हो तो वहां कंपैक्टर लगाने के उपाय भी किए जाएं। कोर्ट ने स्थायी समाधान तलाशकर उसे लागू करने और तब तक स्वास्थ्य व स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कबीर मंदिर, ब्रह्मनगर, मड़ियांव के सामने खुले स्थान पर नगर निगम के कर्मचारी कूड़ा-करकट डाल रहे हैं। इससे गंदगी और दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से अदालत में कुछ तस्वीरें पेश की गईं।

दरोगाखेड़ा से भारी वाहनों की नो-एंट्री का सात दिन ट्रायल

- सुबह छह से रात 11 बजे तक रहेगा प्रतिबंध, सफल होने पर रहेगा लागू
- उल्लंघन पर 20 हजार रुपये जुर्माना, डीसीपी ट्रैफिक ने दिए सख्त निर्देश

जागरण टीम ● लखनऊ: जुनाबगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नो-एंट्री प्वाइंट खोले जाने के बाद अब दरोगाखेड़ा से स्कूटर्स इंडिया, गौरी की ओर जाने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर सात दिन के लिए ट्रायल के तौर पर रोक लगा दी गई है। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए सुबह छह बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहन इस मार्ग पर नहीं जा सकेंगे। उन्हें दरोगाखेड़ा से रिंग रोड की ओर मोड़कर निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा।

यातायात विभाग के मुताबिक, नो-एंट्री के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। निर्धारित समय में प्रतिबंधित मार्ग पर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस और यातायात विभाग की टीमें व्यवस्था की निगरानी करेंगी। दरोगाखेड़ा से स्कूटर्स इंडिया और गौरी की ओर जाने वाले भारी वाहनों के कारण मार्ग पर अक्सर यातायात का दबाव बढ़ता है। इसी को देखते हुए भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजने का निर्णय लिया गया है।

अधिकारियों का मानना है कि इससे मुख्य मार्ग पर जाम और वाहनों की धीमी रफ्तार की समस्या कम होगी। ट्रैफिक प्रभारी कृष्णानगर सर्किल विनोद कुमार सिंह ने बताया कि व्यवस्था अभी सात दिन के ट्रायल पर लागू की गई है। इसका उद्देश्य भारी वाहनों का दबाव कम कर यातायात को सुचारु करना है। ट्रायल के दौरान व्यवस्था के परिणामों का आकलन किया जाएगा। पुलिस उपायुक्त यातायात रवीना त्यागी ने बताया कि ट्रायल सफल रहा तो नो-एंट्री व्यवस्था को आगे भी जारी रखा जाएगा। वाहन चालकों से निर्धारित समय और वैकल्पिक मार्ग का पालन करने की अपील की गई है।

शोक संदेश

अत्यंत दुःख के साथ सूचित करते हैं कि हमारे प्रिय

आर्किटेक्ट श्री दिलबीर सिंह भुई

8 सितम्बर, 2026 को स्वर्ग सिधार गए हैं।

अंतिम यात्रा बुधवार, 9 सितंबर 2026 को अपराह 3:30 बजे हमारे निवास 3/3, विशाल खंड, गोमती नगर, निकट शंकर चौराहा, लखनऊ-226010 से प्रस्थान करेगी ! तत्पशचात गुरुद्वारा सच खंड, विपुल खंड-6, गोमती नगर लखनऊ होते हुए वैकुंठ धाम, लखनऊ जाएगी।

शोकाकुल

पत्नी: नरिंदरजीत कौर
पुत्रियाँ: अनुप्रीत एवं अमृता
दामाद: वरुण एवं रितेश
पौत्री: किरत

सितंबर 1945 - सितंबर 2026

हमेशा हमारे दिलों में

कार्यालय नगरपालिका परिषद अकबरपुर–अम्बेडकरनगर

संख्या:–2800/न0पा0प0अ0/2026–27(निर्माण) दिनांक:–08.09.2026

"ई–निविदा सूचना"

नगर पालिका परिषद अकबरपुर–अम्बेडकरनगर के द्वारा स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभाग में A/B/C/D श्रेणी (जैसा लागू हो) में कार्य की लागत के सीमा के अनुसार पंजीकृत निविदादाताओं से ई–टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर "सीवरेज एवं जल निकासी योजना" के अन्तर्गत–05 निर्माण कार्यो की निविदा आमंत्रित की जाती है। निर्धारित तिथि को अवकाश होने की दशा में उक्त निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जाएगी।

1. कार्य का विवरण वेबसाइट:–https://www.etender.up.nic.in पर लॉगइन कर देखा जा सकता हैं।
2. वेबसाइट पर बिड डाक्यूमेन्ट की उपलब्धता की तिथि–10.09.2026 से 03.10.2026 तक
3. प्री–बिड मीटिंग की तिथि व समय दिनांक–18.09.2026 समय 12:00 बजे।
4. ई–निविदा के माध्यम से निविदा प्राप्ति के लिए अन्तिम तिथि/समय दिनांक–03.10.2026 को समय 12:00 बजे तक।
5. ई–निविदा के माध्यम से निविदा खोलने की तिथि/समय दिनांक–03.10.2026 समय अपराह्न 02:00 बजे।
6. निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीबी के क्लॉज–9 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धिपत्र जारी करने का अधिकार है, जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। सभी संभावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वह नियमित रूप से ई–निविदा पोर्टल की निगरानी रखें।
7. अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट–https://www.etender.up.nic.in पर लॉगिन करें तथा बिड डाक्यूमेंट को डाउनलोड करें।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
अकबरपुर–अम्बेडकरनगर

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
अकबरपुर–अम्बेडकरनगर